पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. –9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 336/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 30.10.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 30.10.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना सिधारीः चोरी गये रूपये के साथ 02 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 29.10.2024 को वादी प्रभुनाथ यादव पुत्र स्व0 शिवूजन यादव सा0 मु0 सिधारी थाना सिधारी, आजमगढ़ उम्र करीब 58 वर्ष ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी की हाईडिल स्थित कपड़े की दुकान पर आकर गमछा दिखाने की बात कहकर एक व्यक्ति द्वारा गमझा देखकर उससे आड़ बनाकर दूसरे व्यक्तियों द्वारा दुकान के कैश बाक्स जिसमें 7000/- रूपये रखा था को चुराकर भाग गये, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 420/2024 धारा 305 बी0एन0एस0 बनाम तीन व्यक्ति नाम पता अज्ञात के पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना व0उ0नि0 भगत सिंह द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 30.10.2024 प्र0नि0 वीरेन्द्र कुमार मय हमराहीयान द्वारा द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त 1. गोपी पुत्र दशरथ ग्राम मिल्कीपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष 2. इन्द्राज पुत्र रमेश ग्राम जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष व अभियुक्ता अंतिमा सिंह पत्नी रविन्द्र सिंह ग्राम किशुनपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र करीब 29 वर्ष को पानी की टंकी बह्दग्राम धनकपुर से समय 12.25 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गोपी के पास से कुल 300 रूपये , इन्द्राज के पास से कुल 200 रूपये व तथा अभियुक्ता अन्तिमा के पास से 220 रूपये बरामद हुए। पल्सर मोटर साईकिल बिना नम्बर को अन्तर्गत धारा 207 एमबीएक्ट मे सीज किया गया।

आपराधिक इतिहासअभियुक्त गोपी –

1.मु0अ0सं0-04/22 धारा 147/148/149/307/382/411/414/420/467/468/471 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

2.मु0अ0सं0- 32/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़

3.मु0अ0सं0- 281/23 धारा 34/323/504/506/308 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

अभियुक्त इन्द्राज –.मु0अ0सं0- 158/19 धारा 379/411 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

2.मु0अ0सं0- 160/19 धारा 41/411 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

अभियुक्ता अंतिमा –.मु0अ0सं0- 71/2024 धारा 308/411/41 भादवि थाना मधुबन जनपद मऊ

2.मु0अ0सं0- 91/2024 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट, 419/420/475/482 भादवि थाना मधुबन मऊ

02. थाना – अहरौला: किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण-

दिनांक- 21/10/2024 को वादी मुकदमा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने थाना अहरौला पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 19.10.2024 की रात्रि करीब 9 बजे मेरी लड़की उम्र करीब 16 वर्ष विना किसी को कुछ बताये पता नही कहाँ घर से चली गयी है बहुत तलाश किया व पता न चलने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 452/2024 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 30.10.2024 को उ0नि0 उदय शंकर तिवारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विवोद गौड़ पुत्र भूक्खन गौड़ निवासी शम्भूपुर (दमदियौना) थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को पखनपुर बाई पास तिराहा सड़क किनारे से समय सुबह 09.55 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

03.थाना-निजामाबाद: साइबर फ्राड के 15,000 रूपये वापस कराया गया

पूर्व की घटनाः-

दिनांक 30.09.2024 और 02.10.24 को आवेदक हमदान खान निवासी चकिया हुसेनाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के खाते से दो बार में कुल 15,000 रूपये कट गये थे। जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ में किया गया था। उक्त शिकायत पर जांच करते साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ में नियुक्त म0क0 संज्ञा देवी द्वारा जांच कर आवश्यक कार्यवाही हेतु समस्त जानकारी थाना निजामाबाद प्रेषित किया गया था।

➡ आवेदक हमदान खान के शिकायत के जांच के क्रम में थानाध्यक्ष हीरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन में कम्प्यूटर ऑपरेटर योगेन्द्र यादव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 30.10.24 को आवेदक के खाते में कुल 15,000 /- रूपये वापस कराया गया। जिसपर आवेदक द्वारा पुलिस के प्रति आभार प्रकट किया गया।

पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 (प्र0) उमेश सिंह थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
2. कम्प्यूटर ऑपरेटर योगेन्द्र यादव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
3. म0का0 रेनू देवी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
4. म0क0 संज्ञा देवी साइबर क्राइम थाना आजमगढ़

04. थाना जहानागंजः चोरी की 02 मोटर साईकिल व अवैध तमंचा के साथ एक अभियुक्त व एक बालअपचारी गिरफ्तार पुलिस अभिरक्षा में।

अवगत कराना है कि दिनांक 29.10.24 को उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता मय हमराह को सूचना मिली कि दो व्यक्ति अलग अलग चोरी की मोटरसाइकिल से सीही की तरफ से कोइलारी होते हुये परदेशी मोड़ की तरफ आ रहे है, उनके पास अवैध तमंचा भी है जो चोरी की गयी मोटर साईकिल को ठिकाने लगाने के लिये जा रहे है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँची, जहा पर कुछ समय पश्चात दो अलग अलग मोटर साइकिल सवार सीही रोड की तरफ से आ रहे ब्यक्तियो को घेरकर पकड़ लिया गया। पकड़े गये मोटर साइकिल सवार व्यक्ति ने अपना नाम विवेक यादव पुत्र श्रवण यादव निवासी कोढ़वा अचलपार थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष बताया जिसके कब्जे से एक देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। दुसरा व्यक्ति एक बाल अपचारी है। दोनो को समय 16.35 बजे पकड़ लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0 560/24 धारा 319(2) ,318(4) ,338, 336(3), 340(2), 317(2) *BNS* व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

आपराधिक इतिहासः-

1. अभियुक्त विवेक यादव पुत्र श्रवण यादव निवासी कोढ़वा अचलपार थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
   1.मु0अ0सं0 243/22 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़
   2. मु0अ0सं0 560/24 धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2),317(2) *BNS* व 3/25 आर्म्स एक्ट

05. थाना- जीयनपुरः अमानत में खयानत का एक कम्बाइन मशीन (कीमत लगभग 15 लाख रूपयें) बरामद ।

पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत कराना है कि दिनांक 22.06.2024 को आवेदक बृजेन्द्र सिंह पुत्र सुरेश सिंह निवासी रामपुर थाना कोतवाली जीयनपुर जनपद आजमगढ का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ कि आवेदक हार्वेस्टर कम्बाइन *UP50AL/*5667 का पंजीकृत स्वामी है आवेदक उक्त हार्वेस्टर कम्बाइन को अपने उपयोग में लेता रहा है इसी बीच हरिकेश सिंह पुत्र चन्द्रभान सिंह निवासी ग्राम मेघई खास थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ से आवेदक के पिता से सम्बन्ध हो गया हरिकेश सिंह उपरोक्त आवेदक के घर आये और कहे कि मेरा भांजा सौरभ सिंह पुत्र पप्पू सिहं निवासी घुरहूपुर पोस्ट सैदपुर भितरी थाना मालीपुर जनपद अम्बेडकरनगर आपके हार्वेस्टर कम्बाइन को सीजन में किराये पर लेना चाहते है आवेदक ने अपनी स्वीकृति दे दी किराये के रुप में सिजनल रुप में दो सीजन का कुल 3,00,000 (तीन लाख) रु0 तय हुआ हरिकेश सिंह के कथन पर विश्वास करके उक्त हार्वेस्टर कम्बाइन को माह फरवारी 2023 में सब लोगो की मौजूदगी में सौरभ सिंह की सुपुर्दगी में दे दिया और हिदायत दी गयी तो प्रार्थी को जब अपने उक्त हार्वेस्टर कम्बाइन की आवश्यकता हो गयी तो प्रार्थी ने उनसे मांग किया तो प्रार्थी को अपने उक्त हार्वेस्टर कम्बाइन को देने से इंकार कर रहे है और जबरजस्ती अपने कब्जे में लिए हुए है वापस करने की माँग पर गाली व धमकी दे रहे है कि हार्वेस्टर कम्बाइन को धोखाधडी व जालसाजी के जरिये विश्वस को धोखा देते हुए जबरजस्ती अपने कब्जे में चुरा लिये है के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 289/2024 धारा 420/406/504/506 भादवि बनाम सौरभ सिंह पुत्र पप्पू सिंह निवासी निवासी घुरहूपुर पोस्ट सैदपुर भितरी थाना मालीपुर जनपद अम्बेडकरनगर के पंजीकृत हुयी जिसकी विवेचना उ0नि0 धनन्जय सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के क्रम में।

बरामदगी का विवरण –

आज दिनांक 30.10.2024 को उ0नि0 धनन्जय सिंह मय हमराह द्वारा मु0अ0स0 289/2024 धारा 420/406/504/506 भादवि से सम्बन्धित कम्बाइन मशीन (अनुमानित कीमत 15 लाख रूपये) को बरामद किया गया व आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

06.थाना- बरदहः अवैध तमन्चा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास—

दिनांक 29.10.24 को उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त सद्दाम पुत्र शरीफ निवासीग्राम पतहना थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर हाल पता ग्राम बक्सपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ को एक देशी तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ दिनांक 29.10.24 को समय 18.10 बजे बेसो नदी पुल वहद ग्राम बीकापुर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-सद्दाम पुत्र शरीफ निवासीग्राम पतहना थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर हाल पता ग्राम बक्सपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 16/24 धारा 380/411/457 भादवि थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 17/24 धारा 379/511 भादवि थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 555/23 धारा 379/411 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 33/24 धारा 307 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 341/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़

07.थाना रानी की सराय: किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है दिनांक 02.07.2023 को वादी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी रितेश सरोज पुत्र सुबई उर्फ सुबाष व उसके परिवार वाले साजिश के तहत वादी मुकदमा की नाबालिक पुत्री को बहला फुसला कर दि0 1/07/023 को समय करीब 02 बजे बाजार से ही लेकर भाग गया है जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 223/23 धारा 363/366/120बी भादवि बनाम रितेश सरोज आदि पंजीकृत कर विवेचना उ.नि. गोपालजी द्वारा सम्पादित की जा रही है। दौरान विवेचना पीड़िता की बरामदगी व बयान के आधार पर धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 30.10.2024 को व.उ.नि. गोपाल जी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रितेश सरोज पुत्र सुबई उर्फ सुबाष निवासी चूहड़पुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ उम्र 21 वर्ष को चेकपोस्ट तिराहे पर समय करीब 11.50 बजे गिरफ्तार किया गया।

08.थाना कोतवालीः *PCR* में आये अभियुक्त के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त पिस्टल व कारतूस बरामद।

पूर्व की घटनाः-

अवगत कराना है कि वादी संजय यादव पुत्र सजनू यादव निवासी हर्रा की चुंगी थाना कोतवाली आजमगढ़ ने थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 15.10.2024 सांय काल 5 बजे मेरा भाई करन यादव अपने साथी निखिल चौहान पुत्र अनिल चौहान निवासी शेखपुरा कोतवाली आजमगढ़ व हर्ष चौरसिया पुत्र अनिल चौरसिया निवासी हर्रा की चुंगी कोतवाली आजमगढ़ के साथ अपने बुलेट बाईक से बद्दोपुर की तरफ जा रहा था जहां रास्ते मे उसे अमन सिंह पुत्र सतेन्द्र सिंह , निवासी दौलतपुर आजमगढ़ व रोशन सिंह पुत्र अज्ञात निवासी *R.T.O* आफिस के पास आजमगढ़ व एक अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात के साथ अपने मो0न0 - से करन यादव को फोन करके बद्दोपुर बुलाया , जहां जाते समय रास्ते मे ही अमन सिंह ने अपने साथियो के साथ करन की गाडी रोक कर करन के सीने मे गोली मार दी । जिससे करन घायल होकर नीचे गिर पडा । जिसे उसके दोस्तो की सहायता से ईलाज हेतू बेदांता अस्पताल लक्षिरामपुर लाया गया। उक्त के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 582/24 धारा 109/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

बरामदगी का विवरण –

उ0नि0 देवेन्द्रनाथ दूबे द्वारा आज दिनांक – 30/10/2024 को जिला कारागार आजमगढ़ में निरुद्ध अभियुक्त अमन सिंह पुत्र सतेन्द्र सिंह नि. दौलतपुर थाना सिधारी आजमगढ़ का *PCR* प्राप्त करते हुए पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर अभियुक्त उपरोक्त को लाकर अभियुक्त के निशानदेही पर बाग लखराव पुल के पास से घटना में प्रयुक्त एक अदद पिस्टल व 1 जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।